हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

की

35वीं बोर्ड बैठक दि0 28-6-2003

का एजेण्डा

समय: प्रात: 10.30 बजे
स्थान: प्राधिकरण सभागार

Scanned by CamScanner

अनुक्रमणिका

क्र.सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विगत बोर्ड बैठक दि0 26-3-2002 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।	1 से 11 तक
2.	परिचालन विधि से आयोजित बैठक दि0 22-6-2002 की कार्यवाही की पुष्टि ।	11 से 12 तक
3.	प्राधिकरण की 35 वीं बोर्ड बैठक दि0 28-6-2003 का एजेण्डा मद :-	
3(1)	वित्तीय वर्ष 2002-03 के पुनरीक्षित/वास्तविक एवं वर्ष 2003-04 के प्रस्तावित आय-व्ययक	12 से 17 तक
3(2)	हरिद्वार महायोजना से सम्बन्धित भौतिक सर्वेक्षण के कार्य में बढ़े क्षेत्रफल की कार्योत्तर/ अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	18
3(3)	गंगाद्वारे महातीर्थे नामक पुस्तक ''हरिद्वार ''की अवशेष 3500 पुस्तकों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	18 से 19 तक
3(4)	गंगा तट पर निर्मित प्रस्तावित भवनों में आर्कीटैक्चुरल कन्ट्रोल के अन्तर्गत यूनीफार्म कलर स्कीम लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।	19
3(5)	मै0सागर फिल्म्स प्रा0लि0हरिद्वार में प्रस्तावित गंगाधाम परियोजना के सम्बन्ध में ।	19 से 20
3(6)	गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह के शमन शुल्क में ब्याज की छूट के सम्बन्ध में ।	21

Scanned by CamScanner

मद सं0-35.01

विषय : विगत बोर्ड बैठक दि0 26-3-2002 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

क्रमांक	विषय	निर्णय	अनुपालन
34.01(1)	अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा स्थापित करने विषयक ।	निर्णय हुआ कि दक्ष मन्दिर के सामने दक्षेश्वरद्वीप कनखाल में (आई.एस.बी.टी.)बनाने हेतु वन विभाग से 200 एकड़ भूमि प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे ।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही जिलाधिकारी हरिद्वार के स्तर पर विचाराधीन है ।
34.01(2)	अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में ।	दिनांक 15-6-2001 को हुई बोर्ड बैठक में श्री राममूर्ति वीर गैर सरकारी सदस्य के प्रस्ताव पर आयुक्त/अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये थे कि अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण की विस्तृत जाँच की जिम्मेदारी तय करते हुए सचिव,ह0वि0प्रा0इस सम्बन्ध में अपनी आख्या दि0 30-6-2001 तक आयुक्त/अध्यक्ष,ह0वि0प्रा0को प्रस्तुत करेंगे । दि0 26-3-2002 को हुई बोर्ड बैठक में पाया गया कि सचिव,ह0वि0प्रा0ने अभी तक उपरोक्त जाँच पूर्ण नहीं की है । इस पर आयुक्त/अध्यक्ष,ह0वि0प्रा0ने सचिव,ह0वि0प्रा0 श्री रमाशंकर को 10 दिन में प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के आदेश दिये ।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि जाँच अपूर्ण है,क्योंकि अधिकांश अधिकारी कर्मचारी उ0प्र0को कार्य- मुक्त हो चुके हैं । अत: इस सम्बन्ध में सर्तकता/भ्रष्टाचार निवारण संगठन विभाग से खुली जाँच करा दी जाय इस आशय का अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को पत्र लिखा गया है।

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 35वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28-6-2003 का कार्यवृत्त

प्राधिकरण की 35वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28-6-2003 को अध्यक्ष/ आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, देहरादून की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही:-

2- श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, देहरादून	अध्यक्ष
2- श्री ओम प्रकाश, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3- श्री एस0के0 माहेश्वरी, जिलाधिकारी, हरिद्वार	पदंन सदस्य
4- श्री बृज बी0 रतन, प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	पदंन सदस्य
5- श्री रमेश चन्द्र शर्मा, अनुसचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून	पदंन सदस्य के नामित सदस्य
6- श्री सतपाल ब्रम्हचारी, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार	पदंन सदस्य
7- श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश	पदंन सदस्य
8- श्री मनोज द्विवेदी, अध्यक्ष, नगरपंचायत, मुनि की रेती	पदंन सदस्य

सर्वप्रथम विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष/आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

मद सं0-35.01

विषय : विगत बोर्ड बैठक दि0 26-3-2002 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

विगत बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन/अनुपालन के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। अनुपालन से सहमत होते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

34.01(1) अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा स्थापित करने विषयक ।

निर्णय हुआ कि दक्ष मन्दिर के सामने दक्षेश्वर द्वीप कनखल में आई0एस0बी0टी0 बनाने हेतु वन विभाग से 200 एकड़ भूमि हस्तांरित कराने के लिये जिलाधिकारी, हरिद्वार अपने स्तर से प्रयास करेंगे तथा मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की तर्ज पर बए अड्डा बनाने हेतु उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार संयुक्त रूप से एक प्रस्ताब तैयार कर अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को प्रेषित करेंगे।

Secretary Vice Chairman Commissioner/Chairman

Scanned by CamScanner

34.01(4)	हरिद्वार विकास प्राधिकरण विकास में गंगा नदी के तट से दोनों ओर 200 मी0 तक के शमन प्रकरणों पर विचार ।	निर्णय हुआ कि सर्व प्रथम दि0 23-9-98 से पूर्व के समस्त प्रकरणों को चिन्हित/सूचीबद्ध करते हुए कुल कितने मामले है तथा कितने शमनित किये जा सकते है तथा कितने निर्माण चल रहे हैं। इसका सही-सही पता लगाकर श्री कप्तान सिंह, सहायक अभियन्ता 15 दिन में सुस्पष्ट एवं विस्तृत आख्या सौंपेंगे तत्पश्चात् अवैध निर्माण कराने हेतु सम्बन्धित जे.ई./ए.ई. की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाय ।	निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत प्राधिकरण गठन वर्ष 1986-87 से 23-9-98 तक गंगा नदी के तट से 200 मी0 के अन्दर हुए अनाधिकृत निर्माणों के समस्त प्रकरणों को चिन्हित करते हुए सूचीबद्ध कर लिया गया है जिसके अनुसार कुल 655 मामले हैं जिनमें से 116 मामले शमनित किये जा चुके है, 465 मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है, 63मामले निरस्त किये गये है, 06 मामले माननीय न्यायालयों में विचाराधीन है शेष 05 मामले कार्यवाही विचाराधीन है।
34.03(5)	ऋषिकेश ट्रांसपोर्टनगर हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में ।	निर्णय हुआ कि एस.एल.ए.ओ. देहरादून द्वारा वांछित प्रतिकर रू0 5,18,36,400.00 का 10 प्रतिशत धनराशि रू0 52,00,000.00 प्रश्नगत भूमि की उपयोगिता /उपयुक्तता एवं ग्राह्यता सिद्ध करने वाली समिति की संस्तुति के उपरान्त ही जमा कराया जाय ।	निर्णय के अनुपालन में तत्कालीन उपाध्यक्ष, सचिव,ह0वि0प्रा0एवं तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका ऋषिकेश द्वारा संयुक्त रूप से ऋषि ट्रांसपोर्टनगर हेतु प्रस्तावित भूमि का सर्वे किया गया था, तद्दोपरान्त नगर नियोजक एवं सहायक अभियन्ता, ह0वि0प्रा0द्वारा पुनः स्थल का सर्वे किया सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का विरोध वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया । जिस पर श्री राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद एवं सदस्य विधानसभा मसूरी के पत्र दि0 7-1-02 के क्रम में सचिव, आवास एवं नगर विकास

Scanned by CamScanner

(2) अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण में जो सचिव, ह0वि0प्रा0 की जांच आख्या दिनांक 10.1.2003 में प्रथम दृष्ट्या जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं उनके विरूद्ध विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। जो अधिकारी/कर्मचारी उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित हो गये हैं और उन्होंने जांच में सहयोग नहीं दिया है उनके विरूद्ध प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को आयुक्त/अध्यक्ष महोदय की ओर से पत्र भेजा जाये।

(4) हरिद्वार विकास प्राधिकरण विकास में गंगा नदी के तट से दोनों ओर 200 मी0 तक के शमन प्रकरणों पर विचार।

निर्णय हुआ कि जो 465 मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है उनमें से प्रथम बार 20-25 मामले प्राथमिकता पर जो रोड वाइडनिंग से प्रभावित है या टिन शेड आदि के बने हैं, उनको चुनकर ध्वस्तीकरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। शेष इसी आधार पर आगे कार्यवाही की जाती रहे।

34.03(5) ऋषिकेश ट्रांसपोर्टनगर हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश ने अनुरोध किया कि ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है अतः प्रस्ताव को पास कर दिया जाय। निर्णय हुआ कि समिति की रिपोर्ट एवं जिलाधिकारी, देहरादून के मांग पत्र आने के बाद वांछित धनराशि रू0 52.00 लाख जमा करा दी जाये।

(7) प्राधिकरण की योजनाओं में अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि जो लगभग रू0 30.00 लाख की अनिस्तारित सम्पत्तियां अवशेष हैं उन्हें शीघ्र निस्तारित किया जाय।

Secretary Vice Chairman Commissioner/Chairman

Scanned by CamScanner

उत्तरांचल शासन, देहरादून के पत्र सं0-130 दि0 11-1-02 प्राप्त हुआ । जिसमें शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है कि उपरोक्त प्रयोगार्थ पशुलोक कालोनी में भूमि देखने हेतु अधि0अभि0ग्रामीण पुनर्वास अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड पशुलोक कालोनी से सम्पर्क किया जाय । सम्पर्क उपरान्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि टिहरी बाँध विस्थापितों को हस्तान्तरित कर दी गयी है अत: अब उक्त भूमि को अवमुक्त किया जाना सम्भव नही है । तदनुसार इस कार्या-लय के पत्र सं0-1771 दि. 14-3-2002 द्वारा ाासन को पत्र भेजा गया । अभी तक इस सम्बन्ध में शासन से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नही हुए । उल्लेखनीय है कि गुमानीवाला स्थित उक्त भूमि पर हाईटेन्शन लाईन जा रही है । प्रस्तावित भूमि के ग्रामीण सीलिंग से प्रभावित होने या न होने का अनापत्ति हेतु जिलाधिकारी देहरादून को दि0 16-6-02 पत्र भेजा गया जो कि प्राप्त नही हुआ । अत: इस कारण भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा वाँछित धनराशि रू0 52.00 जमा नही नही किये गये ।

Scanned by CamScanner

-4-

34.03(7) प्राधिकरण की योजनाओं में अनि-स्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

दि0 15-6-2001 की बोर्ड बैठक में श्याम-लोक योजना में होटल एवं आश्रम हेतु आर-क्षित 2 भूखण्डों का निस्तारण क्रमशः 2680 वर्ग मी0 व 600 वर्ग मी0 का भू-उपयोग परिवर्तन कर परिचालन विधि से किये जाने का निर्णय हुआ था । चूँकि 2680 वर्ग मी0 होटल हेतु आरक्षित एवं 600 वर्गमी0 आश्रम हेतु आरक्षित भूखण्डों का निस्तारण 7 बार समाचार पत्रों में विक्रय हेतु विज्ञापन देने उपरान्त भी सम्भव नही हो पाया था । इस प्रकार प्राधिकरण को इस सम्पत्ति के विक्रय से एक बड़ी राशि प्राप्त नही हो पा रही है। इस हेतु गहन विचार-विमर्श किया गया । विचार-विमर्श में श्री राममूर्ति वीर एवं श्री संजय सहगल,गैर सरकारी सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि उपरोक्त दोनों भूखण्डों को आवासीय में परिवर्तित कर तथा साइज छोटे करके रू0 1800.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से विक्रय कर दिया जाय । इस पर श्री वी. वी.रतन प्रभारी नगर नियोजक एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल शासन ने सुझाव दिया कि यह दर रू0 2200.00 प्रति वर्ग मी0 कर दी जाय किन्तु उपाध्यक्ष ने इन दरों को कम मानते हुए विरोध दर्ज करते हुए सुझाव दिया निर्णय के अनुपालन में श्यामलोक योजना में होटल हेतु आरक्षित भूखण्ड को ग्रुप हाउसिंग आश्रम,धर्मशाला उपयोग हेतु परिवर्तित कर दिया गया था तथा योजना में अन्तिम भूखण्ड मूल्य पर अथवा सरकारी सर्किल रेट पर जो भी अधिक हो विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया था। निर्णय के क्रम में भारत संचार निगम लि0 हरिद्वार को उक्त भूखण्ड रू0 4800.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से कुल रूपया 1,27,92,280.00 में जिसका क्षेत्रफल 2641.86 वर्गमी0 को दि. 19-5-03 को विक्रय कर दिया गया है । रजिस्ट्री कब्जा आदि की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ।

Scanned by CamScanner

-5-

कि इन भूखण्डों के साइज छोटे न किये जाय क्योंकि साइज छोटे करने में सड़क आदि का प्राविधान करना होगा । जिससे काफी भूमि खराब होगी साथ ही दर कम से कम क्षेत्र का सरकारी सर्किल रेट अथवा जिस दर पर इस योजना में अन्तिम भूखण्ड विक्रय हुआ है । उसमें जो अधिक हो उस दर से होटल हेतु आरक्षित भूखण्ड को ग्रुप हाउसिंग आश्रम/धर्मशाला उपयोग हेतु परिवर्तित करते हुए नियमानुसार नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया जाय ताकि प्राधिकरण को अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा ।

अन्त में प्राधिकरण हित में उपाध्यक्ष के सुझाव से सहमत होते हुए बैठक में उक्त भूखण्ड के निस्तारण हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

34.03(10)	औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद में यू. पी.एस.आई.डी.सी.द्वारा विकसित आवासीय योजना के तलपट मान-चित्र की स्वीकृति में विकास एवं अन्य शुल्क निगम से न लेने के सम्बन्ध में ।	इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाय।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है ।
34.03(13)	अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से डामकोठी से सिंहद्वार नहर की	निर्णय हुआ कि जिलाधिकारी हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग,प्राधिकरण से ह0वि0प्रा0को0 अनापत्ति	*निर्णय के अनुपालन में डामकोठी से सिंहद्वार नहर की पटरी पर प्राधिकरण द्वारा सड़क,*

Scanned by CamScanner

-6-

	पटरी का सौन्दर्यकरण कराने के सम्बन्ध में ।	पत्र दिलवायेंगे । ताकि डामकोठी से सिंह द्वार नहर की पटरी का सौन्दर्यकरण कराया जा सके ।	बेंच एवं लाईट आदि की व्यवस्था करा दी गई है । राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति के अभाव में तथा धनराशि की कमी के कारण शेष सौन्दर्यीकरण न कराये जा सके ।
34.04	हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वर्ष 2001-2002का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2002-2003 के प्रस्तावित आय-व्ययक के सम्बन्ध में ।	पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावित आय रू0 504.00 लाख एवं व्यय रू0 583.62 लाख तथा प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष 2002-2003 में कुल आय रू0 3577.00 लाख तथा कुल व्यय रू0 3556.85 लाख का निम्न सुझावों के साथ अनुमोदित किया गया :-	वित्तीय वर्ष 2002-03 में स्वीकृति अनुसार ही प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किये गये मदवार आय एवं व्ययों का पूर्ण विवरण वर्ष 2003-2004 के प्रस्तावित आय-व्ययक की मद सें0-35.03 पर उपलब्ध है ।
		1.राजस्व आय में स्टाम्प डयूटी हेतु उ0प्र0 शासन आवास विभाग के पत्र सं0-6668 दि0 16-3-02 के क्रम में लम्बित धनराशि रू0 45.00 लाख की मांग उत्तरांचल शासन से की जाय । इसके अतिरिक्त उत्तरांचल प्रदेश के गठन के बाद की इस मद की धनराशि रू0 50.00 लाख की मांग राजस्व परिषद उत्तरांचल शासन से की जाय ।	अनुपालन में मार्च 2002 तक की अवधि के रू0 137.62 लाख की प्राप्ति हेतु स्टाम्प डयूटी के बिल उत्तरांचल शासन में प्रेषित किये जा चुके है। धनराशि प्राप्ति हेतु निरन्तर शासन से अनुरोध किया जा रहा है।
		2.शमन शुल्क की आय हेतु प्रभावी कार्य-वाही की जाय ।	अनुपालन में शमन शुल्क की आय में वृद्धि हेतु मासिक समीक्षा बैठकों में अभियन्ताओं को लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण प्रयास किये गये । फलस्वरूप वसूली कुल रू0 34.81 लाख रही ।
		3. फ्री-होल्ड शुल्क के कुल कितने मामले	प्राधिकरण की कुल 4 आवासीय योजना है

Scanned by CamScanner

(10) औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद में यू. पी.एस.आई.डी.सी.द्वारा विकसित आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति में विकास एवं अन्य शुल्क निगम से न लेने के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि शासन स्तर पर कार्यवाही होने के पश्चात अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(13) अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से।

34.03(1) डामकोठी से सिंहद्वार नहर की पटरी का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष/आयुक्त महोदय ने निर्देश दिये कि डामकोठी से पुल जटवाड़ा तक नहर की पटरी का सर्वे करा लिया जाये तथा इस पटरी का सौन्दर्यीकरण कराया जाय एवं आर्नामेन्टल प्लान्ट्स लगवायें जायें एवं अधिक से अधिक जन सुविधायें उपलब्ध करायी जाये। सड़क चौड़ी करायी जाये तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग से भी सहयोग लिया जाये।

34.04 हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वर्ष 2001-2002का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2002-2003 के प्रस्तावित आय- व्ययक के सम्बन्ध में ।

अवलोकन किया गया तथा एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

34.06 भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्टस काम्पलेक्स बनाने हेतु भूमि के स्थान्तरण के सम्बनध में

अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद हरिद्वार द्वारा अनुरोध किया गया कि स्पोर्ट्स काम्पलेक्स से जो आय हो उसका हिस्सा नगर पालिका को भी दिया जाये क्योंकि निर्माणाधीन स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की भूमि नगर पालिका की ही है। इस संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रस्तावित स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण कराया जाय। निर्माण उपरान्त रखरखाव का कार्य हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। रखरखाव व्यय को घटाने के पश्चात इस काम्पलेक्स से हुयी आय को आधा-आधा हरिद्वार विकास प्राधिकरण तथा नगर पालिका हरिद्वार में वितरित किया जायेगा। स्थिति से आवास एपं शहरी विकास विभाग, उत्तरांचल शासन देहरादून को सूचित कर दिया जाये। आई0आई0टी0 रूड़की से जियो-टेक्निकल इन्वेस्टीगेशन का कार्य कराने हेतु रू0 1.52 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।

Secretary Vice Chairman Commissioner/Chairman

Scanned by CamScanner

	है तथा कितने लोगों ने विकल्प दिया है तथा विकल्पधारियों का समस्त विवरण सचिव ह0वि0प्रा0द्वारा उपाध्यक्ष/अध्यक्ष को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जायेगा ।	जिनमें शिवलोक,श्यामलोक एवं हरिलोक योजनाओं में भूखण्डों एवं एक मंजिला भवनों के शत-प्रतिशत विक्रय विलेख फ्री-होल्ड सहित किये गये है केवल प्रथम योजना ऋषिलोक ऋषिकेश में शासनादेश अनुसार विकल्प प्राप्त होने पर फ्री-होल्ड किये जा रहे है । वर्तमान में कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नही है ।
	4.रिवाल्विंग फंड में कितना पैसा है सचिव ह0वि0प्रा0ज्ञात करेंगे तदनुसार योजना बनायी जाय ।	आई.डी.एस.एम.टी.योजनान्तर्गत शासन द्वारा हरिद्वार हेतु मार्च 1996 में रू0 670.94 लाख के प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके विरूद्ध प्राधिकरण को मात्र रूपये 116.66 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जो कि विकास कार्यो में व्यय की जा चुकी है । प्रोजेक्ट हेतु भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण अवशेष राशि प्राप्त न हो सकी । फलस्वरूप रिवाल्विंग फंड में भी कोई धनरशि उपलब्ध नही है ।
34.06	भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्टस काम्पलेक्स बनाने हेतु भूमि के स्थान्तरण के सम्बनध में ।	निर्णय हुआ कि आयुक्त,महोदय की अध्यक्षता में उनके द्वारा नियत तिथि पर फंड की व्यवस्था हेतु ह0वि0प्रा0,निजी संस्थाओं एवं एन.जी.ओ.आदि की बैठक कर धन की व्यवस्था होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जाय ।	आयुक्त/अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक दि0 23-08-02 में हुए विचार-विमर्श के कम में प्रस्तावित स्पोर्टस काम्पलेक्स में से स्क्वेश स्पोर्ट, टेबिल टेनिस रूम तथा कैफेटीरिया को फिलहाल हटाते हुये आर्कीटेक्ट द्वारा संशोधित डिजाईन/ ड्राइंग एवं प्रारम्भिक आगणन

Scanned by CamScanner

-8-

तैयार कर प्राधिकरण को उपलब्ध करा दिया गया है जिसके अनुसार स्पोर्टस काम्पलेक्स की संशोधित लागत 319.39 लाख हो गयी है। अब तक इस मद में निम्नानुसार कुल धनराशि रू0 19.00 लाख प्राप्त हो गयी है:-

1- श्री अम्बरीश कुमार पूर्व विधायक द्वारा विधायक निधि से रू0 15.00 लाख

2- उत्तम शुगर मिल्स लि0 लक्सर से रू0 2.00 लाख

3- समन्वय सेवा ट्रस्ट हरिद्वार से रू0 2.00 लाख

दिनांक 8.10.2002 को अध्यक्ष/आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हरिद्वार के गणमान्य व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों/ एन0जी0ओ0/सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण हेतु जनता की भागीदारी करने हेतु धन जुटाने के संबंध में एक बैठक आहूत की गयी थी जिसमें हरिद्वार के विधायक श्री मदन कौशिक ने विधायक निधि से रू0 10.00 लाख एवं केन्द्रीय मन्त्री श्रीमती सुशमा स्वराज की सांसद निधि से रू0 50.00 लाख दिलाने की प्रतिबद्धता की है तथा श्री हर पाल सिंह साथी, सांसद हरिद्वार ने पूर्व में रू0 12.00 लाख देने

Scanned by CamScanner

-9-

की सहमति प्रदान कर रखी है। बी0एच0ई0एल0 हरिद्वार द्वारा रू0 7.00 लाख देने का आश्वासन दिया गया है। स्पोर्ट काम्पलेक्स निर्माण हेतु रू0 1.50 करोड़ की धनराशि अवस्थापना निधि की बैठक दिनांक 7.12.2001 को अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस प्रकार उपरोक्त स्रोतों से कुल धनराशि रू0 258.00 लाख बनती है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अवशेष रू0 61.39 लाख अन्य एजेन्सियों से उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जायेगा।

दिनांक 7.6.2003 को उपाध्यक्ष ह.वि.प्रा. की अध्यक्षता में प्राधिकरण के अधिकारियों तथा प्रोजेक्ट के आर्कीटेक्ट मे0 भार्गव एण्ड एसोसिएटस के साथ बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-

1- भल्ला कालेज ग्राउण्ड में स्टेडियम एवं तरण ताल च अन्य निर्मित किये जाने वाले भवन की स्ट्रक्चरल डिजाईन करने से पूर्व संबंधित कार्य स्थल पर जियो-टेक्निकल इन्वेस्टीगेशन का कार्य आई0आई0टी0 रूड़की से कराया जाय। उक्त कार्य हेतु आई0आई0टी0 रूडकी द्वारा रू0 1.52 लाख की मांग की गयी है।

Scanned by CamScanner

-10-

			2- आई0आई0टी0 रूड़की से जियो टेक्निकल से प्राप्त परिणामों के पश्चात जो वियरिंग कैपेसिटी के परिणाम प्राप्त होंगे मे. भार्गव एण्ड एसोसिएटस को प्राप्त कराया जायेगा जिसके आधार पर स्ट्रक्चरण डिजाईन में वियरिंग कैपेसिटी के आधार पर गणना करेंगे तथा स्ट्रक्चरण डिजाईन वाला भाग प्रस्तुत करेंगे।
34.09	रोडी सेक्टर में सी. सी. आर (केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष) के निर्माण के सम्बन्ध में ।	निर्णय हुआ कि जिलाधिकारी एवं एस.एस.पी. एवं उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 संयुक्त बैठक कर विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार कराते हुए अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे ।	निर्णय के अनुपालन में रोडी सेक्टर में सी. सी.आर. (केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष) का निर्माण अर्द्धकुम्भ मेला-2004 के बजट से कराया जा रहा है ।
34.14	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-		
	1. बैकट हालो के सम्बन्ध में ।	बैकट हॉलों के सम्बन्ध में ह. वि. प्रा. गैर सरकारी सदस्य श्री संजय सहगल व श्री राम मूर्ति वीर द्वारा सुझाव दिया गया कि शहर में स्थित समस्त बैकट हॉलों में न तो पार्किंग का प्राविधान है न ही फायर सम्बन्धी सुरक्षा के पर्याप्त उपाय है । निर्णय हुआ कि सचिव,ह0वि0प्रा0इस सम्बन्ध में शासन से प्राप्त गाइड लाइन्स के अनुसार उपाध्यक्ष को एक सप्ताह में अपनी तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करेंगे ।	निर्णय के अनुपालन में कराये गये सर्वे के अनुसार हरिद्वार क्षेत्र में कुल 6 बैकट हॉल चल रहे है । जिसमें शासन से प्राप्त गाइड लाइन्स के अन्तर्गत सुविधाएँ उपलब्ध न होने की दशा में प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किये गये जिसमें 3 प्रार्थना पत्र शमन हेतु प्रस्तुत हुए कार्यवाही विचाराधीन है।सभी आवश्यक औपचारिकतायें (पार्किंग फायर सर्विस आदि) हेतु सभी को लिखित रूप में सूचित कर दिया गया है तदोपरान्त नोटिस की भी जारी किये गये है।

Scanned by CamScanner

34.09 रोडी सेक्टर में सी.सी.आर (केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष) के निर्माण के सम्बन्ध में ।

केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष का निर्माण अर्द्धकुम्भ बजट से कराया जा रहा है। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

34.14 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

1. बैकट हालो के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि जो पुराने बैकट हाल है उन्हें पार्किंग एवं फायर सर्विस आदि की औपचारिकतायें पूर्ण कराने के लिये प्राथमिकता पर सूचित किया जाये तथा नये मानचित्र शासन की गाइडलाइन्स के आधार पर ही स्वीकृत किये जायें।

2. सहारनपुर ट्रांसपोर्ट नगर की प्रगति के सम्बन्ध में ।

सर्वसम्मति से प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

3. हरिद्वार में स्थित 8 हाईमास्ट लाईटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि 8 में से 2 हाई मास्ट जो नगर पालिका को हस्तांरित नहीं की गयी है उन्हें 1 माह के अन्दर ठीक कराकर नगर पालिका परिषद हरिद्वार को हस्तांरित कर दी जायें। अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश के अनुरोध पर ऋषिकेश की खराब पड़ी एक हाई मास्ट लाईट को भी ठीक करा दिया जाये।

4. दैनिक जनसत्ता को रू0 1,25,000.00 लाख के विज्ञापन के भुगतान के सम्बन्ध में ।

अवलोकन किया गया मद को एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद सं0-35.02

विषय : ललताराव पुल बाल्मिकी चौक पर अनिरूद्ध कुमार झा द्वारा प्रस्तावित मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में परिचालन विधि से आयोजित बैठक दि0 22-6-2002 की कार्यवाही की पुष्टि ।

कार्यवाही की पुष्टि के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

Secretary Vice Chairman Commissioner/Chairman

Scanned by CamScanner

-11-

2. सहारनपुर ट्रांसपोर्ट नगर की प्रगति के सम्बन्ध में ।	सहारनपुर ट्रांसपोर्ट नगर की प्रगति के बारे में सचिव,ह0वि0प्रा0 जानकारी प्राप्त कर अवगत करायेंगे ।	निर्णय के अनुपालन में सचिव,ह.वि.प्रा. द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार भूमि की अनुपलब्धतता के कारण कोई प्रगति नही है ।
3. हरिद्वार में स्थित 8 हाईमास्ट लाईटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।	निर्णय हुआ कि हरिद्वार में 8 हाईमास्ट लाईट एक सप्ताह के अन्दर नगरपालिका हरिद्वार को हस्तान्तरित कर दिया जाय ।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि 6 हाईमास्ट लाईट नगरपालिका हरिद्वार को हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा अवशेष 2 हाईमास्ट मरम्मत हेतु नगरपालिका हरिद्वार से रू0 3.00 लाख का आगणन प्राप्त हुआ है । मरम्मत उपरान्त शीघ्र ही दोनों हाईमास्ट नगरपालिका हरिद्वार को हस्तान्तरित कर दी जायेगी ।
4. दैनिक जनसत्ता को रू0 1,25,000.00 लाख के विज्ञापन के भुगतान के सम्बन्ध में ।	दैनिक जनसत्ता को मुख्यमन्त्री कार्यालय से जारी रू0 1,25,000.00 के विज्ञापनों का भुगतान कर दिया जाय ।	निर्णय के अनुपालन में दैनिक जनसत्ता को प्रस्तुत बिल धनांक 1,22,500.00 का भुगतान दि0 30-5-2002 को किया जा चुका है ।

मद सं0-35.02

विषय : ललताराव पुल बाल्मिकी चौक पर अनिरूद्ध कुमार झा द्वारा प्रस्तावित मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में परिचालन विधि से आयोजित बैठक दि0 22-6-2002 की कार्यवाही की पुष्टि ।

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि0 26-3-2002 में मानचित्र सं0-18/95-96 विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया था ।

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को सम्बोधित पत्र दि0 1-4-2002 में पुनः सशर्त (यदि सड़क विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की जाती है तो प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण को हटाये जाने की स्थिति में किसी प्रकार के मुआवजे की मांग नही करेगा)मानचित्र स्वीकृत करने के अनुरोध पर विचारोपरान्त परिचालन विधि द्वारा दि. 22-6-2002 को उक्त मानचित्र प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी । जिसके अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा उक्त मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया ।

कार्यवाही की पुष्टि प्रस्तावित है ।

मद सं0-35.03

विषय : हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2002-03 के पुनरीक्षित/वास्तविक एवं वर्ष 2003-04 के प्रस्तावित आय-व्ययक के सम्बन्ध में ।

(अ) वर्ष 2002-03 का पुनरीक्षित/वास्तविक आय-व्ययक

प्राधिकरण का वर्ष 2002-03 का मूल आय-व्ययक प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक दि0 26 मार्च 2002 में स्वीकृत किया गया था जिसमें कुल आय रू0 3577.00 लाख तथा कुल व्यय रू0 3556.85 लाख का स्वीकृत हुआ था। उक्त के विरूद्ध 31 मार्च 2003 तक कुल आय रू0 393.44 लाख तथा कुल व्यय रू0 261.60 लाख के हुए है । आय की मदों में मुख्य रूप से 2500.00 लाख का ऋण हडको से प्रस्तावित था जो कि प्राधिकरण पर ब्याज भार से मुक्ति के दृष्टिगत नही लिया गया । इसके अतिरिक्त रू0 500.00 लाख नयी आवासीय योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय/पंजीकरण से प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था जो कि भूमि उपलब्ध न होने के कारण पूर्ण न हो सका । नयी योजनाओं में ट्रांसपोर्ट नगर एवं ज्वालापुर कडच्छ आवासीय योजनाओं की भूमि के कब्जा की कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित है । उक्त के अतिरिक्त रू0 70.00 लाख की आय लक्ष्य स्टाम्प डयूटी मद में रखा गया था जिसमें उत्तरांचल शासन से कोई प्राप्ति नही हो पायी है। उक्त कारणों से आय प्राप्ति में कमी रही है । शेष मदों में आय की प्राप्ति औसतन रही है।

आय के सापेक्ष व्ययों में भी कमी रही है पूंजीगत व्ययों में मुख्य रूप से प्राविधान भूमि क्रय एवं इन योजनाओं में विकास कार्यो हेतु कुल रू0 2650.00 लाख का रखा गया था जिसके विरूद्ध व्यय मात्र 1.99 लाख का हुआ है। अवस्थापना विकास निधि मद में प्राविधान रू0 350.00 लाख के विरूद्ध व्यय मात्र रू. 125.82 लाख का हुआ है। हडको से कोई ऋण नही लिया गया इसकारण ऋण वापसी मद में किये गये प्राविधान रू0 300.00 लाख के विरूद्ध व्यय शून्य रहा है। अति आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकरण हित में अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अनुमोदनोपरान्त केवल निम्न मदों में

Scanned by CamScanner

मद सं0-35.03

विषय : हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2002-03 के पुनरीक्षित/वास्तविक एवं वर्ष 2003-04 के प्रस्तावित आय-व्ययक के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वर्ष 2002-03 का पुनरीक्षित/वास्तविक आय-व्ययक तथा वर्ष 2003-04 का कुल आय रू0 2400.50 लाख तथा कुल व्यय रू0 3363.75 लाख का प्रस्तावित आय-व्ययक सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। आय में वृद्धि हेतु विशेषकर शमन शुल्क की वसूली में गति लाने हेतु क्षेत्रवार हर 15 दिन में समीक्षा की जाय।

मद सं0-35.04

विषय : हरिद्वार महायोजना से सम्बन्धित भौतिक सर्वेक्षण के कार्य में बढ़े क्षेत्र की कार्योत्तर/ अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार महायोजना से संबंधित भौतिक सर्वेक्षण के कार्य हेतु कुल क्षेत्रफल 13,817 हेक्टेयर तथा कुल लागत रू0 40,48,381- की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये सर्वसम्मति से प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद सं0-35.05

विषय : गंगाद्वारे महातीर्थ नामक पुस्तक(हरिद्वार) की अवशेष 3500 पुस्तकों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि गंगाद्वारे महातीर्थे नामक पुस्तकें लागत मूल्य रू0 300/- में पर्यटन विभाग को दे दी जायें। इस हेतु सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरांचल शासन को पत्र प्रेषित किया जाय।

मद सं0-35.06

विषय : गंगा तट पर निर्मित/प्रस्तावित भवनों में आर्कीटैक्चुरल कन्ट्रोल के अन्तर्गत यूनीफार्म कलर स्कीम लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार व ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा के किनारे दोनों तरफ यूनिफार्म कलर किये जाने के उद्देश्य से तीन

Secretary Vice Chairman Commissioner/Chairman

Scanned by CamScanner

स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किया गया जो कि कुल राजस्व व्यय के अन्तर्गत ही है :-

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	स्वीकृत प्राविधान	पुनरीक्षित
1.	मास्टर प्लान सर्वे	25.00	25.72
2.	आडिट फीस	2.00	4.08
3.	वाहन पैट्रोल/डीजल	6.00	7.84
4.	सिटी मैनेजरर्स एसो0,उत्तरांचल (शासनादेश के अन्तर्गत)	0.00	5.00

राजस्व व्यय में कुल प्राविधान रू0 147.85 लाख के विरूद्ध व्यय मात्र 111.28 लाख के हुये है । इसप्रकार प्राधिकरण के पुनरीक्षित/वास्तविक आय-व्ययक में कुल आय रू0 393.94 लाख तथा कुल व्यय रू0 261.60 लाख के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

(ब) वर्ष 2003-04 का प्रस्तावित आय-व्ययक

प्राधिकरण के प्रस्तावित आय-व्ययक में कुल आय रू0 3400.50 लाख तथा कुल व्यय रू0 3363.75 लाख का प्रस्तावित किया जा रहा है। मदोवार पूर्ण विवरण आगे के पृष्ठों में उपलब्ध है ।

इस वर्ष के बजट में मुख्य व्यय नयी योजनाओं हेतु भूमि क्रय एवं इनमें विकास कार्यो हेतु क्रमशः रूपये 2250.00 लाख एवं रू0 500.00 लाख के प्रस्तावित है। आय पक्ष में भी आय का मुख्य स्रोत नयी योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय/पंजीकरण तथा हडकों से प्रस्तावित ऋण है । विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

(1) राजस्व आय

राजस्व आय की मुख्य मदों में स्टाम्प डयूटी, विनियोजन से ब्याज, मानचित्र शुल्क,शमन शुल्क,विकास शुल्क एवं फ्री-होल्ड शुल्क आदि की प्राप्तियों को दर्शाया जाता है । वर्ष 2003-04 हेतु कुल रू0 371.50 लाख की आय प्रस्तावित है जो कि गत वर्ष की वास्तविक प्राप्ति से रू0 146.59 लाख अधिक है । प्राधिकरण के पास विभिन्न बैंको में उपलब्ध लगभग रू0 700.00 लाख की सावधि जमाओं की राशि का उपयोग भूमि क्रय एवं विकास कार्यो में किया जाना है इस कारण विनियोजन से ब्याज प्राप्ति के अनुमान को कम किया गया है । उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में शासन की वित्तीय स्थिति

Scanned by CamScanner

के दृष्टिगत शासन से प्राप्त होने वाली स्टाम्प डयूटी एवं अनुदान प्राप्ति मदों में आय का अनुमान शून्य प्रस्तावित किया गया है । शेष मदें सामान्य रूप से वृद्धि करते हुए प्रस्तावित की गयी है ।

(2) पूंजीगत आय

पूंजीगत आय में मुख्य रूप से नयी योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय, हडकों से ऋण आदि प्रस्तावित है । वर्तमान में प्राधिकरण के पास कोई सम्पत्ति/भूमि उपलब्ध नही है, इसकारण इस वर्ष भूमि अर्जन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है । भूमि क्रय हेतु एक बडी धनराशि की आवश्यकता होगी । अत: इस हेतु हडकों से रू0 2000.00 लाख ऋण प्राप्ति भी प्रस्तावित है । ट्रांसपोर्टनगर योजना हरिद्वार एवं नयी आवासीय योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय से कुल रू. 800.00 लाख का अनुमान है । इसप्रकार पूंजीगत आय में कुल रू0 3029.00 लाख की आय प्रस्तावित है ।

(3) राजस्व व्यय

राजस्व व्यय में मुख्य रूप से अधिष्ठान के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय,डाक व्यय,विज्ञापन एवं वाहनों के अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त सम्परीक्षा शुल्क एवं कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन क्रय अग्रिम भी सम्मिलित है। इस वर्ष सुविधा की दृष्टि से अध्यक्ष/आयुक्त, कार्यालय अनुरक्षण की नयी मद खोली गयी है तथा विज्ञापन मद को 2 भागों में बांटा गया है । राजस्व व्यय में कुल व्यय रू0 132.75 लाख के प्रस्तावित किये गये है जो कि आवश्यकता अनुसार एवं नियन्त्रण की दृष्टि से व्यावहारिक है ।

(4) पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में मुख्य रूप से भूमि क्रय, योजनाओं में विकास/निर्माण कार्यो पर व्यय तथा हडको ऋण वापसी भुगतान हेतु क्रमश: रू0 2250.00 लाख, रू0 500.00 लाख एवं रू0 300.00 लाख प्रस्तावित किये गये है । कुल व्यय रू0 3281.00 लाख के प्रस्तावित है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्राधिकरण का वर्ष 2002-2003 का पुनरीक्षित/वास्तविक एवं वर्ष 2003-2004 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 वास्तविक	2002-2003 प्रस्तावित	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 प्रस्तावित
(अ)	राजस्व आय					
1	स्टाम्प ड्यूटी	61.43	0.00	70.00	0.00	0.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियाँ	37.98	93.33	35.00	61.60	35.00
3	मानचित्र शुल्क	15.74	12.83	20.00	14.44	25.00
4	शमन शुल्क	30.93	39.22	60.00	34.81	100.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	11.43	6.77	15.00	5.51	10.00
6	अनुदान प्राप्ति	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
7	विविध(टेण्डर फीस, लीज रेन्ट आदि)	5.62	4.29	10.00	2.25	10.00
8	विकास शुल्क/भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	145.10	87.18	150.00	112.55	160.00
9	अम्बार शुल्क	12.24	11.72	15.00	-6.52	15.00
10	फ्री-होल्ड शुल्क	32.14	12.89	15.00	3.99	16.00
11	हरिलोक अनुरक्षण	0.00	0.00	0.00	-3.72	0.50
(अ)	कुल राजस्व आय	**352.61**	**268.23**	**400.00**	**224.91**	**371.50**
(ब)	पूंजीगत आय					
1	ऋषिलोक योजना	4.57	2.78	3.00	3.38	2.00
2	शिवलोक	28.19	15.92	7.00	7.72	4.00
3	हरिलोक	88.36	36.61	50.00	47.33	30.00
4	श्यामलोक	63.70	41.61	50.00	30.26	130.00
5	हुडको एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00	0.00	2500.00	0.00	2000.00
6	आई.डी.एस.एम.टी.	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गायत्री लोक	64.36	62.08	55.00	76.14	50.00
8	अन्य नई योजना	0.00	2.52	500.00	0.00	800.00
9	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	1.27	6.41	7.00	2.99	3.00
10	डिपाजिट कार्यों हेतु प्राप्ति	0.00	20.56	5.00	0.71	10.00
(ब)	कुल पूंजीगत आय	**253.70**	**188.49**	**3177.00**	**168.53**	**3029.00**
	कुल आय (अ+ब)	**606.31**	**456.72**	**3577.00**	**393.44**	**3400.50**
(अ)	राजस्व व्यय					
1-	अधिष्ठान					
(i)	कर्मचारी वेतन/भत्ते	48.56	48.68	60.00	44.19	55.00
(ii)	यात्रा भत्ता	1.34	0.39	0.60	0.52	0.50
(iii)	दैनिक वेतन	0.27	0.28	0.35	0.30	0.35
(iv)	अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान	1.21	0.00	3.00	2.84	2.00
	योग (अ)	**51.38**	**49.35**	**63.95**	**47.85**	**57.85**
2-	कार्यालय विविध व्यय					
(i)	डाक व्यय	0.17	0.10	0.20	0.11	0.20
(ii)	स्टेशनरी	1.33	1.50	2.00	0.71	1.00
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	4.64	3.07	6.00	4.95	7.00
(iv)	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 वास्तविक	2002-2003 प्रस्तावित	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 प्रस्तावित	टिप्पणी
(v)	टेलीफोन	3.07	2.13	2.75	1.91	1.00	
(vi)	पुस्तकालय	0.12	0.16	0.20	0.09	0.15	
(vii)	कानूनी व्यय	1.02	1.16	5.00	0.73	3.00	
(viii)	अतिथि सत्कार	0.22	0.43	1.00	0.81	1.00	
(ix)	छपाई	0.75	0.30	1.00	0.17	0.50	
(x)	विज्ञापन (सामान्य)	3.86	3.50	8.00	6.33	0.40	
(xi)	योजनाओं के प्रसारण/निविदा सम्बन्धी विज्ञापन	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	नयी मद शा0भु[illegible]
(xii)	सम्परीक्षा शुल्क	1.50	2.00	2.00	4.08	2.00	
(xiii)	विविध	1.10	1.22	1.25	0.80	1.00	
(xiv)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.25	0.00	0.20	
(xv)	मशीनरी अनुरक्षण	0.36	0.67	0.75	0.35	0.50	
(xvi)	विद्युत अनुरक्षण	0.36	0.37	0.50	0.27	0.60	
(xvii)	विवेकाधीन	0.19	0.20	0.50	0.06	0.25	
(xviii)	अस्थाई अग्रिम	0.30	0.55	0.50	2.15	0.50	
(xix)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.21	0.35	2.00	0.10	1.00	
	योग (ब)	19.20	17.71	33.90	23.62	27.90	
3-	वाहन						
(i)	अनुरक्षण	2.30	1.88	3.00	1.25	1.50	
(ii)	पैट्रोल/डीजल	4.63	4.85	6.00	7.84	7.00	
	योग (स)	6.93	6.73	9.00	9.09	8.50	
4-	कर्मचारी अग्रिम						
(i)	वाहन	0.02	0.00	1.00	0.00	0.50	
(ii)	भवन/भूखण्ड	11.54	2.50	5.00	0.00	3.00	
	योग (द)	11.56	2.50	6.00	0.00	3.50	
5-	मास्टर प्लान	0.54	11.33	25.00	25.72	30.00	
6-	विकास कार्य (अनुदान)	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
7-	आवास बन्धु	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
	योग (य)	3.54	11.33	35.00	30.72	35.00	
	कुल योग राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+य)	92.61	87.62	147.85	111.28	132.75	
	पूंजीगत व्यय						
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	0.00	3.67	10.00	6.24	1.50	
2	कम्प्यूटर क्रय	2.99	1.58	10.00	0.19	1.00	
3	फ़र्नीचर/फिक्चर्स क्रय	1.28	1.04	1.00	0.70	0.50	
4	क्रेन्द्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
	योग (अ)	43.52	6.29	21.00	7.13	3.00	
5	योजना भूमि क्रय						
(i)	नई योजना	0.00	80.00	2000.00	0.00	2250.00	

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 वास्तविक	2002-2003 प्रस्तावित	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 प्रस्तावित
	योग (ब)	0.00	80.00	2000.00	0.00	2250.00
6	योजना विकास/निर्माण कार्य					
(i)	शिवलोक	0.63	1.00	1.00	0.05	0.00
(ii)	श्यामलोक	22.27	13.85	12.00	0.66	5.00
(iii)	हरिलोक	48.76	8.32	5.00	1.57	2.00
(iv)	टी.एच.डी.सी.पुनर्वास योजना	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	ऋण वापसी	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
(vi)	ऋणों पर देय ब्याज	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
(vii)	आई.डी.एस.एम.टी.	2.82	4.86	0.00	0.00	0.00
(viii)	शोध/ट्रेनिंग/परामर्श शुल्क	1.22	0.00	5.00	0.37	1.00
(1x)	भवन/इन्फ्रास्ट्रक्चर	224.04	340.75	350.00	125.82	115.00
(x)	गायत्रीलोक	7.23	0.00	10.00	0.00	10.00
(xi)	आश्रय योजना/ई.डब्लू.एस.	13.05	0.91	25.00	0.00	25.00
(xiii)	नई योजना	4.25	1.30	650.00	1.99	500.00
(xiv)	डिपाजिट कार्यों पर व्यय '	0.00	0.40	30.00	12.73	20.00
	योग (स)	325.02	371.39	1388.00	143.19	978.00
	कुल योग पूंजीगत व्यय	368.54	457.68	3409.00	150.32	3231.00
	सकल योग व्यय	461.15	545.30	3556.85	261.60	3363.75
	अन्तिम अवशेष	145.16	-88.58	20.15	131.84	36.75

(एस0पी0राणा)
लेखाकार

(प्रदीप गोयल)
मु0वित्त अधिकारी

(रमाशंकर)
सचिव

(ओम प्रकाश)
उपाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

मद सं0-35.04

-18-

विषय : हरिद्वार महायोजना से सम्बन्धित भौतिक सर्वेक्षण के कार्य में बढ़े क्षेत्र की कार्योत्तर/ अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित 7000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का कार्य लागत 20.51 लाख का दि. 7-8-2001 को निविदा के आधार पर मै0 विकास इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट नामक फर्म को दिया गया था । उक्त कार्य प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तरांचल शासन के निर्देशों में कराया गया था । कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात प्रभारी अधकारी, नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा पत्र सं0-98 दि0 2-3-2002 द्वारा 4500 हेक्टेयर क्षेत्रफल का अतिरिक्त सर्वे कराने हेतु हरिद्वार विकास प्राधिकरण को लिखा गया था जिसके आधार पर प्राधिकरण बोर्ड बैठक दि0 26-3-2002 में उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनांक 13.18 लाख स्वीकृत करते हुए उक्त कार्य का संशोधित क्षेत्रफल 11500 हेक्टेयर तथा संशोधित लागत 33.69 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उपरोक्त कार्य पूर्ण करने के उपरान्त प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल शासन द्वारा पुनः दि0 10-9-2002 को प्राधिकरण को 2319 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल का सर्वेक्षण कराने हेतु हरिद्वार विकास प्राधिकरण को लिखा गया जिसमें सर्वेक्षण के समय क्षेत्र में स्थिति महत्वपूर्ण प्रकृति अथवा मानव निर्मित लैण्ड पार्क, चण्डीदेवी की ओर तक के अतिरिक्त क्षेत्रफल को समायोजित करने के साथ-साथ ऊँचे-नीचे क्षेत्रों में सम्मिलित भू-क्षेत्र तथा अर्द्धकुम्भ हेतु आवश्यक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था । आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त कार्य हेतु अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की स्वीकृति दिनांक 23-12-2002 के द्वारा पूर्ण कराया जा चुका है । इस प्रकार कार्य पूर्ण/ अन्तिम होने पर कुल क्षेत्रफल 13,817 हेक्टेयर तथा कुल लागत रू0 40,48,381.00 आयी है । सर्वेक्षण रिपोर्ट माानचित्र एंव मूजैक मैप आदि सहित नयी महायोजना तैयार करने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग उत्तरांचल को प्रेषित की जा चुकी है । उक्त की कार्योत्तर/औपचरिक अनुमोदन हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

मद सं0-35.05

विषय : गंगाद्वारे महातीर्थ नामक पुस्तक(हरिद्वार) की अवशेष 3500 पुस्तकों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

अर्द्धकुम्भ मेला-1992 हरिद्वार के समय हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा तीर्थ नगरी हरिद्वार की विस्तृत जानकारी हेतु रंगीन चित्रों सहित उक्त की 5000 पुस्तकें प्रकाशित करायी गयी थी जिसमें 2500 पुस्तकें हिन्दी भाषा में तथा 2500 पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में थी । छपायी के समय रू0 300.00 प्रति पुस्तक की दर से छपायी पर कुल व्यय रू0 15.50 लाख का हुआ था ।

Scanned by CamScanner

-19-

पुस्तक का विक्रय मूल्य रू0 500.00 प्रति पुस्तक रखा गया था, इन पुस्तकों में से प्रारम्भ में ही लगभग 1200 पुस्तकें विक्रय की गयी थी जिससे प्राधिकरण को कुल रू0 6.00 लाख की प्राप्ति हो चुकी है । लगभाग 300 पुस्तकें प्रचार-प्रसार हेतु नि:शुल्क वितरित की गयी थी इसप्रकार लगभग 3500 पुस्तकें अवशेष है जिनकी दिन-प्रतिदिन शीलन आदि के कारण खस्ता हालत होती जा रही है । कृपया इन पुस्तकों के उचित निस्तारण हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत है ।

मद सं0-35.06

विषय : गंगा तट पर निर्मित/प्रस्तावित भवनों में आर्कीटैक्चुरल कन्ट्रोल के अन्तर्गत यूनीफार्म कलर स्कीम लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार नगर भारत का एक प्रमुख धार्मिक केन्द्र है । देश-विदेश से आने वाले करोड़ो आस्थायें यहाँ से जुडी हुई है । किसी नगर का महत्व वहाँ के भवनों में परिलक्षित होता है । हरिद्वार नगर में वर्तमान में कोई आर्कीटैक्चुरल कन्ट्रोल लागू न होने के कारण गंगा तट पर बने भवनों के भिन्न-भिन्न कलर स्कीम नगर के धार्मिक महत्व को ह्रास करते अत: हरिद्वार नगर के धार्मिक महत्व को देखते हुए गंगातट पर निर्मित/प्रस्तावित भवनों में यूनीफार्म कलर स्कीम लागू किया जाना प्रस्तावित है, ताकि नगर के स्वरूप में भव्यता प्रदान की जा सके । उक्त कलर स्कीम के अन्तर्गत निम्न में से किसी एक कलर पर विचार किया जा सकता है ।

1. जोगिया
2. कैमल
3. हल्का गुलाबी

मद सं0-35.07

विषय : मै0 सागर फिल्मस् प्रा0लि0द्वारा हरिद्वार में प्रस्तावित गंगाधाम परियोजना के सम्बन्ध में।

मै0सागर फिल्म्स प्रा0लि0द्वारा हरिद्वार नगर के मध्य ललताराव पुल के समीप गंगा कैनाल से लगी खसरा संख्या 1516(पार्ट) पर 2656.80वर्ग मी0 नजूल भूमि पर गंगा धाम परियोजना प्रस्तावित की जा रही है। उक्त परियोजना के माध्यम से संस्था द्वारा चलते-फिरते मूर्तियों (एविमेटरोनिक्स) के माध्यम से एक म्यूजियम/लाइब्रेरी की स्थापना करना चाहते है । प्रश्नगत भूमि वर्तमान में धोबीघाट है तथा लगभग पूर्णतया नाले की भूमि है । हरिद्वार महायोजनानुसार प्रश्नगत स्थल 30 मी0 चौड़े प्रस्तावित महायोजना मार्ग पर स्थित है तथा सड़क के विस्तारीकरण से प्रभावित है। स्थल का भू-उपयोग नदी,कैनाल

Scanned by CamScanner

रंग-जोगिया, कैमल, हल्का गुलाबी का प्रस्ताव किया गया, जिसमें से विचारोपरान्त सर्वसम्मति से 'जोगिया रंग' गंगा के किराने दोनों तरफ कराने के लिये यूनिफार्म कलर योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। स्कीम लागू की जाय।

मद सं0-35.07

विषय : **मै0 सागर फिल्मस् प्रा0लि0द्वारा हरिद्वार में प्रस्तावित गंगाधाम परियोजना के सम्बन्ध में।**

निर्णय हुआ कि बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण तथा जिलाधिकारी हरिद्वार की सयुक्त रिपोर्ट लेकर शासन के पत्र का उत्तर भेज दिया जाये।

मद सं0-35.08

विषय : **गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह के शमन शुल्क में ब्याज की छूट के सम्बन्ध में ।**

निर्णय हुआ कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम को ब्याज की छूट न दी जाय तथा रू0 21,973/- की धनराशि ब्याज सहित जमा करायी जाये। यदि उनके द्वारा भुगतान न किया जाये तो आर0सी0 भेज कर वसूली की जाये।

मद सं0-35.09

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

(1) अध्यक्ष,नगरपालिका परिषद हरिद्वार द्वारा अनुरोध किया गया कि 800 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्डों पर मानचित्र स्वीकृति में छूट प्रदान की जाय। इस संबंध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह मामला शासन स्तर का है तथा गंगा जी के तट तथा कुम्भ मेला भूमि की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये महायोजना के हिसाब से इसपर विचार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निद्रैश दिये गये कि प्रतिमाह हरिद्वार व ऋषिकेश में विशेष कैम्प लगाये जायें जिसमें संबंधित विभागों को भी बुलाया जाय। इन विशेष कैम्पो में उक्त मानचित्रों का निस्तारण किया जाय।

अन्त में उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 द्वारा अध्यक्ष महोदय का विशेष आभार व्यक्त करते हुये बैठक में अन्य उपस्थित मान्नीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करते हुये अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त की गयी।

Secretary Vice Chairman Commissioner/Chairman

Scanned by CamScanner

डिस्ट्रीब्यूटरी है। जिसमें निर्माण कार्य अनुमन्य नही है। प्रश्नगत स्थल गंगा नदी में संलग्न है जिसमें उ0प्र0शासन के आदेश दि0 31 जुलाई 2000 के अनुसार केवल मठ, आश्रम, मन्दिर का निर्माण कतिपय शर्तो के अधीन अनुमन्य किया गया है।

उपरोक्त विषय पर मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन, देहरादून से प्राप्त अ0शा0पत्र सं0-336/मु0स0/आ0/2003 दि0 7 जून 2003 द्वारा निर्देशित किया गया है कि "प्रस्तावित स्थल पर इस हेतु भूमि उपलब्ध कराने पर इस अनुबन्ध के साथ विचार किया जा सकता हे कि नदी निर्माण स्थल के 200 मी0 के क्षेत्र में भी गंगा किनारे, पूर्व से विद्यमान निर्माणों व घाटों की अनुरूपता को ध्यान में रखते हुए निर्माण/विकास नियोजित हो ? जो गंगा तट की भव्यता, पवित्रता एवं सौन्दर्य में नई तकनीकी का समावेश कर एक नयी उच्चता को प्राप्त करें "। उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्रस्तावों का सभी प्रासंगिक दृष्टिकोणों से परीक्षण कर आख्या यथा शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

शासन के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित गंगाधाम परियोजना हेतु निम्नलिखित प्राविधान सुनिश्चित कराते हुए अनुमति दिये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा ।

1. प्रश्नगत भूमि नाले की होने के कारण उस पर न्यूनतम 10 फिट ऊँचाई में स्लैब डालकर निर्माण प्रस्तावित करना होगा ताकि नाले का बहाव अवरूद्ध न हो ।

2. स्थल पर वर्तमान ट्रैफिक तथा उक्त निर्माण से उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक को देखते हुए भूतल का सम्पूर्ण भाग स्टैल्ड पार्किंग के रूप में विकसित करना होगा ।

3. गंगा नदी (आपूर्ति धारा)की ओर भवन का कोई भी भाग वहाँ पर निर्मित घाट/बिल्डिंग लाइन से आगे नही होगा ।

4. भवन का सैनिटेशन/सीवर आदि नाले अथवा गंगा नदी में प्रवाहित नही की जायेगी । उन्हें मुख्या सीवर लाइन से जोड़ा जाना होगा ।

5. प्रश्नगत स्थल पर महायोजना मार्ग की प्रस्तावित चौडाई 30 मी0 है अत: मार्ग की चोड़ीकरण हेतु आवश्यक सड़क छोड़ने के पश्चात वर्तमान में प्रभावी भवन उपविधि के अनुसार निर्माण प्रस्तावित करना होगा ।

6. भवन उपविधि के अनुसार प्रस्तावित निर्माण की विशिष्टियॉ निम्नवत होगी :-

(अ) भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर

(ब) भू-आच्छादन 35 प्रतिशत

(स) एफ0ए0आर0 1.5

प्रस्ताव बोर्ड की समक्ष सूचनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

मद सं0-35.08

विषय : गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह के शमन शुल्क में ब्याज की छूट के सम्बन्ध में ।

मुनिकीरेती स्थित पर्यटक आवास गृह में एक शमन मानचित्र प्रथम तल पर 4 कमरे एवं दूसरे ब्लाक में 8 कमरे का निर्माण बिना स्वीकृति के कराये जाने पर नोटिस सं0-21/98-99 दि0 29-4-98 को जारी किया गया । प्रतिवादी ने शमन सहमति एवं शमन मानचित्र प्रस्तुत करने पर निर्माण को शमनित किया गया । जिसमें कुल देय रू0 21,973.00 दि0 25-8-98 को जमा कराने हेतु सूचित किया गया तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम के प्रबन्धक निदेशक द्वारा अ0शा0पत्रसं0-751 डि0 5-12-2002 में यह अनुरोध किया गया कि शमन की मूल राशि रू0 21,973.00 जमा करायी जा रही है। यह एक सरकारी संस्था है अतः ब्याज देना सम्भव नही है । उक्त ब्याज में छूट का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

बर्ष 1986-87 से 23.09.1998 तक गेगा नदी के तट से 200 मी0 के अन्दर के अनाधिकृत निर्माणों का विवरण

क्षेत्र का नाम	शमन	ध्वस्तीकरण आदेश	निरस्त	विचाराधीन	न्यायालय में लम्बित	कुल
ऋषिकेश	46	147	21	1		215
हरिद्वार	70	318	42	4	6	440
कुल	116	465	63	5	6	655

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

Scanned by CamScanner